न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 36/2018

श्री आसिमदीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।

आवेदक

बनाम

नवल किशोर पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जाट निवासी ग्राम अभौरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएसएक्ट 2006 एवं नियम 2011

उपस्थिति :

1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 29.8.2018

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल उपस्थित। प्रार्थी अनुपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 20.12.2017 को दोपहर पूर्व उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल के पास से मौके पर आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ विक्रय हेतु प्लास्टिक की एक केन में करीब 7 किलो रिफाइन्ड पामोलीन ऑयल पाया गया। जिसमें मिलावट/संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–1196/एक्ट/2017/03 दिनांक 5.1.2018 द्वारा उक्त रिफाइन्ड पामोलीन ऑयल का नमूना अवमानक स्तर (Sub standard) का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अवमानक स्तर (Sub standard) के रिफाइन्ड

Web Copy - Not Official

पामोलीन ऑयल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि प्रार्थी एक बहुत ही छोटा व्यवसायी है उसके स्वयं के स्तर पर कभी भी कोई रिफाइन्ड, तेल इत्यादि तैयार नहीं किया जाता न ही वह बनाना जानता है। चूंकि बहुत छोटे स्तर पर तेल आदि का विक्रय होता है इसलिये कभी भी कहीं से भी विभिन्न दुकानदारों से क्रय किया जाता है। गैरसायल के द्वारा वक्त निरीक्षण पाये गये रिफाइन्ड में कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए रिफाइन्ड आदि का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण/जांच मौके पर गैर सायल के पास से आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ विक्रय हेतु 7 किलो रिफाइन्ड पामोलीन ऑयल पाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–1196/एक्ट/2017/03 दिनांक 5.1.2018 द्वारा उक्त रिफाइन्ड पामोलीन ऑयल का नमूना अवमानक स्तर (Sub standard) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक रिफाइन्ड आदि विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 2000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराकर तत्काल न्यायालय हाजा में जमा रसीद प्रस्तुत करें। तदनुसार कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर